



दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)MC-5/Service Register

प्रधान कार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 15-12-2016

आर बी ई सं/RBE No. 145 / 2016

पी बी सी सं/ PBC No: 176 / 2016

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units,
etc.,

(As per mailing list -'A')


विषय/Inclusion of Aadhaar number (Unique Identification
issued by UIDAI) in Service Book of Government
Servants.

A copy of Railway Board's letter No.E(G)2016/FR 1-6dated
02-12-2016 (RBE No. 145 / 2016) on the above subject is enclosed for
information, guidance and necessary action.

As indicated action may be taken on priority to ensure timely completion
of Adhaar entries in Service Records of all employees within one month
positively.

Service Register may also be shown to the employees and their
acknowledgement taken in token of having seen the Service Register.

संलग्न/Encl: as above


(V. Srinivasan)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA
The Genl Secy / NFIR

RBE No. 145/2016

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD रेल बोर्ड

No.E(G)2016/FR 1-6

New Delhi, dated

2/12/2016
2/12/2016

The General Manager(s),
Zonal Railways &
Production Units, etc.

Sub: Inclusion of Aadhaar number (Unique Identification issued by UIDAI) in Service Book of Government servants.

As Railway administrations are aware, in terms of extant rules/instructions every event in a Government servants' official life must be recorded in his Service Book and each entry is to be attested by the Head of office.

2. An extract of Paras 1234 and 1235 of the 'Indian Railway Administration and Finance Code' which provides that the Heads of offices are to obtain signatures of the Railway servants in token of them having inspected their Service Books annually is reproduced below:-

"1234. Scrutiny by Employees: It shall be the duty of every Head of Office to initiate action to show the Service Books to railway servants governed by pension rules under his administrative control every year and to obtain their signature therein in token of their having inspected the Service Books. A certificate to the effect that he has done so in respect of the preceding financial year should be submitted by him to his next superior officer by the end of every September. The railway servants shall inter-alia ensure before affixing their signature that their services have been duly verified and certified as such. In the case of a railway servant on foreign service, his signature shall be obtained in his Service Book after the Accounts Officer has made therein necessary entries connected with his foreign service.

1235. The scrutiny of his Service Book by the railway servant concerned, must be made in the presence of a responsible official. As a token of his scrutiny and acceptance of entries in the Service Book, the railway servant should sign in the relevant column of the Service Book and the official who supervised the scrutiny will also endorse his signature as evidence that scrutiny was conducted under proper supervision and the supervising officer is satisfied that it was bona fide and no unauthorized changes were made in the entries in the Service Book in the course of such scrutiny."

3. Furthermore, Rule 47 of the Railway Services (Pension) Rules 1993 provides for issuing a communication on completion of 18 years of service and five years before retirement, as part of preparatory work for sanctioning pensionary benefits.

4. Besides aforesaid directives, pursuant to Government of India's instructions, it has also been decided that Aadhaar numbers of all Railway Servants should be included in their Service Book.

5. Therefore, all Zonal Railways/Production Units etc. are directed to ensure that the Service Book of all the employees have an entry of the employee's Aadhaar number. Immediate necessary action in this regard may please be taken and the number of employees whose Service Books have been seeded with their respective Aadhaar number may be intimated to Board's office within a month's time.

6. In this connection, attention of Zonal Railways is invited to Board's letter No. 2015/ED/ERP/UIDAI/01 dated 21/7/2016 wherein Railways/Production Units were directed to arrange for Aadhaar numbers and field units are expected to have taken action already.

7. This issues with the concurrence of the Finance Dte.

8. Please acknowledge receipt.

9. Hindi version will follow.


(D. Joseph)

Dy. Director Estt. (Genl.)

No. E(G) 2016/FR 1-6

New Delhi, dated

2/12/2016

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी)2016/एफआर1-6

नई दिल्ली, दिनांक 2/12/2016

मंत्र प्रबन्धक
जनरल रेलें और
उत्पादन इकाइयां आदि

विषय: सरकारी सेवकों की सेवा-पुस्तिका में आधार नम्बर (यूआईडीएआई द्वारा जारी विशिष्ट पहचान) शामिल करना।

जैसाकि रेल प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि मौजूदा नियमों/अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के सरकारी जीवन में होने वाले प्रत्येक घटना को उसकी सेवा-पुस्तिका में दर्ज किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रविष्टि को कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है।

2. 'भारतीय रेल प्रशासन और वित्त संहिता' के पैरा 1234 और 1235 का एक उद्धरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रावधान है कि कार्यालयों के प्रमुखों को रेल सेवकों द्वारा सेवा-पुस्तिका की वार्षिक छानबीन किए जाने के संकेत के रूप में उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने हैं।

"1234. कर्मचारियों द्वारा छानबीन - अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन काम करने वाले पेंशन नियमों से शासित रेल कर्मचारियों के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष उन्हें सेवा-पुस्तिकाओं को दिखाने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा और इसके क्रम में कि उन्होंने सेवा-पुस्तकों का निरीक्षण कर लिया है, उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। प्रत्येक सितम्बर के अंत में वह अपने अगले उच्च अधिकारी को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि पिछले वित्तीय वर्ष के संबंध में उसने ऐसा कर दिया है। अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व रेल कर्मचारी भी साथ-साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि उसकी सेवाएं विधिवत् सत्यापित और उसी तरह प्रमाणिक कर दी गई हैं। विदेश सेवा में गये रेल कर्मचारी के मामले में सेवा-पुस्तिका में उसके हस्ताक्षर तब किये जाएंगे जब लेखा अधिकारी ने विदेश सेवा संबंधी आवश्यक इन्दराज उसकी सेवा-पुस्तिका में कर दिये हैं।

1235. रेलवे कर्मचारी द्वारा सेवा-पुस्तिका की छानबीन किसी जिम्मेदार कर्मचारी की उपस्थिति में की जानी चाहिए। छानबीन करने और सेवा-पुस्तिका के इन्दराजों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप रेल कर्मचारी सेवा-पुस्तिका के संगत कालम में हस्ताक्षर करेगा। छानबीन का पर्यवेक्षण करने वाला कर्मचारी भी उसके हस्ताक्षरों का समर्थन करने हुए यह साक्ष्य देगा कि उचित पर्यवेक्षणाधीन छानबीन की गई और पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी संतुष्ट हैं और कि यह छानबीन वास्तविक है और छानबीन के दौरान सेवा-पुस्तिका इन्दराजों में कोई अनधिकृत परिवर्तन नहीं किये गये हैं।"

3 इसके अलावा, रेल सेवाएं (पेंशन) नियम 1993 के नियम 47 में प्रावधान है कि 18 वर्ष की सेवा पूरी होने पर और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकृत किए जाने की तैयारी के भाग के रूप में, सेवानिवृत्ति से पांच वर्ष पहले एक कम्यूनिवेशन जारी किया जाएगा।

4. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अलावा, भारत सरकार का अनुसरण करते हुए यह भी विनिश्चय किया गया है कि सभी रेल सेवकों की सेवा-पुस्तिका में उनके आधार नम्बर को भी शामिल किया जाना चाहिए।

5. अतः सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि को निर्देश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर कि सभी कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका में कर्मचारी के आधार नम्बर की प्रविष्टि कर दी गई है। कृपया इस संबंध में तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए और एक माह के भीतर बोर्ड को उन कर्मचारियों की संख्या सूचित की जाए जिनकी सेवा-पुस्तिकाओं में उनकी आधार संख्या प्रविष्टि कर दी गई है।

6. इस संबंध में, बोर्ड के दिनांक 21/7/2016 के पत्र सं. 2015/ईडी/ईआरपी/यूआईडीएआई/01 की ओर क्षेत्रीय रेलों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें रेलों/उत्पादन इकाइयों को आधार नम्बर की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए थे और फील्ड इकाइयों से अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने पहले ही कार्रवाई कर ली होगी।

7. इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

8. कृपया पावती दें।

डी. जोसफ
(डी. जोसफ)

उप निदेशक स्या.(सा.)

स. इ(जी)2016/एफआर1-6

नई दिल्ली, दिनांक 2/11/2016